उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन: 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

सं0– 61 औस एंव विनियम/पाकालि/08 –2 (21)एनजीए/04 दिनांक: 06.11.08

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सहयोगी विद्युत वितरण एवं पारेषण कम्पनियों में विभागीय कार्मिकों की अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

पिछले कुछ वर्षों से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सहयोगी विद्युत वितरण एवं पारेषण कम्पनियों में अवर अभियन्ताओं की भारी कमी अनुभव की जा रही है। इससे इन वितरण एवं पारेषण कम्पनियों के कार्यकलाप प्रभावित हो रहे है। अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु संगत विनियमावली (उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन, 1972) में सीधी भर्ती के अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 से अर्न्तरत विभागीय कार्मिकों के चयन द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था है। इन कार्मिको ने विभिन्न श्रेणियों यथा– परिचालन, निर्माण तथा अनुरक्षण आदि कार्यो के लिये नियुक्त कार्मिक सम्मलित है।

2 उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन, 1972 के विनियन–17 के अर्न्तगत अवर अभियन्ता के पद पर चयन में उक्त प्रस्तर–1 में इंगित सभी प्रकार के कार्यो हेतु नियुक्त कार्मिको के अर्ह होने से किये जाने वाले चयनों की निष्पक्षता एवं उपयोगिता तथा अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) से निम्नतर वेतनमान के तकनीकी पदो पर व्याप्त ठहराव का बिन्दु समय–समय पर प्रशासनिक स्तर के साथ-साथ कार्मिको एवं उनके संगठनो द्वारा उठाया जाता रहा है।

3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 17.10.08 को हुई (मद सं0 पिचहत्तर (38)/08) बैठक मे इस सम्पूर्ण प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय कार्मिको का चयन उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के अर्न्तगत श्रेणी–घ 4 के पद टेक्नीशियन ग्रेड–2 (विद्युत)/(यांत्रिक)/(लाइन) एवं केबिल ज्वाइन्टर के पदधारको तक सीमित रखकर चयन इन पदधारको की [illegible] आधार पर साक्षात्कार द्वारा किया जाए।

4. उक्त प्रस्तर–3 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन 1972 के वर्तमान विनियम–17 के स्थान पर निम्न रखा जाता है–

> " 17 विनियम–5 (डी) के अर्न्तगत अवर अभियन्ता (सा0 श्रेणी) के पद पर चयन परिचालकीय संवर्ग के टेक्नीशियन ग्रेड–।। व केबिल ज्वाइंटर पदधारकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।

.........क्रमशः/2

viniyum

चयन 100 अंको का होगा जिसका विभाजन निम्नवत है :–

क हाई स्कूल	20 अंक
ख इण्टर या उच्चतर	10 अंक
ग आई0टी0आई0 /	25 अंक
घ. उच्च तकनीकी योग्यता (आई0टी0आई0 के स्थान पर)/डिप्लोमा	25 अंक
ड. अनुभव (प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये 01 अंक)	35 अंक
च. साक्षात्कार	10 अंक

प्रश्नगत चयन हेतु टेक्नीशियन ग्रेड–।। व केबिल ज्वांइटर की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाये जाने के लिये कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे मार्गदर्शिका बना सके।"

5. उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन, 1972 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

6. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पृ0 सं0– 81 औस एवं विनियम/पाकालि/08 –2 (21)एनजीए/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा/केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/अरा0/कार्मिक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 13.10.08 को हुई बैठक की मद सं0 पिचहत्तर (38)/08 के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी सं0 724/पाकालि/बैठक (75)/2008 दिनांक 03.11.08 के सन्दर्भ में प्रेषित।
11. पत्रावली सं0 7–विनियम/88.

(जावेद अहमद)
अनुसचिव